# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1966/2013/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–I प्रतिकरापवंचन, भिवाडी। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बेस्टेक्स एमएम इण्डिया प्रा0 लि0
इण्डस्ट्रीयल एरिया टपूकडा, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

**उपस्थित : :**

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
श्री विनय गोयल,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

**निर्णय दिनांक : 22/11/2016**

## निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 189/आरवेट/2012–13/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 27.05.2013 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन भिवाड़ी (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 1,08,000/–को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2012 को वाहन संख्या एचआर/55/क्यू/1237 को माल परिवहनित करते हुये यू0आई0टी चौक भिवाडी में रोक कर चैक किया गया। उक्त वाहन में लदा माल में लदा माल आयरन शीट्स, टपूकड़ा (राज.) से दिल्ली के लिये परिवहनित किया जा रहा था जिसके समर्थन में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जॉच अधिकारी को निम्नाकिंत दस्तावेज जॉच हेतु पेश किये गये :–

–मैसर्स बेस्टेक्स एमएम इण्डिया प्रा0 लि0 टपूकडा का रिटर्नेबल गेटपास नं0–235 दिनांक 04.12.2012 (दोहरी प्रति में)

–मैसर्स बेस्टेक्स एमएम इण्डिया प्रा0लि0 टपूकड़ा का चालान संख्या–352 दिनांक 04.12.2012 माल आयरन शीट्स कीमतन रुपये 3,60,000/– का माल मैसर्स होरिजन इण्डस्ट्रीज दिल्ली को वास्ते जॉबवर्क स्टॉक ट्रांसफर प्रेषित।

लगातार.....2

– भिवाडी दिल्ली रोडलाइन्स भिवाडी की जी आर नं0–5201 दिनांक 04.12.2012 टपूकड़ा से दिल्ली।

3. जॉच अधिकारी द्वारा उपयुर्क्त दस्तावेजों की जॉच करने पर परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा–पत्र वैट–49 संलग्न नहीं पाये जाने के कारण उक्त वाहन को मय माल अधिनियम की धारा 76(2)(B) सपठित नियम 54 का उल्लंघन मानते हुये उक्त वाहन माल को मय माल की अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत निरुद्व करते हुये प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(6) के अंतर्गत करापवंचन का अभियोग दर्ज किया जाकर उपायुक्त (प्रशासन), अलवर के निर्देशानुसार पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरित की गई।

4. सक्षम अधिकारी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा टपूकड़ा से दिल्ली के लिये आयरन शीट्स वास्ते जॉबवर्क स्टॉक ट्रांसफर बिना विधिक घोषणा पत्र वैट–49 के किया जा रहा है। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा–पत्र वैट–49 संलग्न किया जाना आवश्यक है, जो वक्त जॉच परिवहनित माल के साथ संलग्न नहीं पाये जाने के कारण यक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

5. नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत व्यक्ति श्री सत्यशंकर ने उपस्थित होकर लिखित जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–49 नं0–5509596 (दोहरी प्रति में) पेश कर जाहिर किया कि वाहन चालक जल्दी में होने के कारण उक्त घोषणा पत्र वैट–49 नं0 5509596 को कार्यालय पर भूल आया जिसे जवाब के साथ पेश किया जा रहा है, तथा इसके पीछे अपीलार्थी व्यवहारी का करापवंचन का कोई उद्वेश्य नहीं है संव्यवहार में परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 की आवश्यकता नहीं है। अतः नोटिस में प्रस्तावित शास्ति की कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब पश्चातवर्दी सोच मानते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा इसे सन्तोषप्रद नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर अपीलार्थी के निवेदन पर प्रकरण का फैसंला आज ही करते हुये जाँच उक्त परिवहनित माल के साथ विधिक घोषणा पत्र वैट–49 संलग्न नहीं पाये जाने को अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम–54 का उल्लंघन मानते हुये प्रकरण में परिवहनित माल "आयरन शीट्स" कीमतन रुपये 3,60,000/– पर अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन शास्ति रुपये 1,08,000/– आरोपित की गई। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.05.2013 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....3

7. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

8. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित आदेश के तहत अपीलार्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन आरोपित की गई शास्ति अविधिक एवं तथ्यों से परे होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने अपने कथन में यह भी कहा कि विवादित मामलें में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण की प्रकृति एवं तथ्यों पर गौर किये बिना ही व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन शास्ति आरोपित की गई है, व्यवसायी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किये जाने के कारण पारित आदेश अपास्त करने योग्य है।

9. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एंव रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

10. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित माल डिस्पेच करते समय सभी वाछिंत दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी पूर्ण रुप से भरा हुआ घोषणा पत्र वैट–49 नं0–5509596 (दोहरी प्रति में) दे दिया था, लेकिन वाहन चालक जल्दबाजी में उक्त घोषणा–पत्र वैट–49 नं0–5509596 को अपीलार्थी के कार्यालय में टेबल पर ही छोड़ दिये जाने की वजह से प्रकरण में वक्त जांच परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–49 संलग्न नहीं कर पाया। इसके अलावा वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ संलग्न रिटर्नेबल गेट पास नं0–235 पर घोषणा–पत्र वैट 49 का क्रमांक–5509596 भी अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी के दस्तावेजों को गलत/मिथ्या साबित किये बिना ही मनमाने ढंग से प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम–54 का उल्लंघन मानते हुये विवादित आदेश के तहत अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन आरोपित की गई शास्ति को माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय मैसर्स बॉनटान केबल्स इडिंया प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी.मेटल के प्रकरण में दी गई व्यवस्था से आच्छादित है। अतः अपीलीय अधिकारी की अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

उपरोक्त विवेचनानुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष